**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15794/2026
CNR: RJHC020968202026 | URN: CRLMB / 29235U / 2026

Mankesh Gurjar S/o Shri Harisingh Gurjar, Aged About 23 Years, R/o Village Totolai Tehsil Gangapur City Police Station Sadar Gangpur City District Sawai Madhopur. (At Present Confined In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Rajendra Prasad Gautam |
| For Respondent(s) | : | Mr. Manvendra Singh, PP<br>Mr. Girraj Prasad Sharma<br>for Complainant |

---

**HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**

**Order**

**28/10/2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना–**शिवदासपुरा, जयपुर दक्षिण** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **1037/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 140(3), 308(2), 108 बी.एन.एस. में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि इस मामले में पूर्व में सहअभियुक्त सचिन के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था तथा सचिन को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा आदेश दिनांक 10.8.2026 के द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। उनका तर्क है कि वास्तविकता में मृतक मनराज और सहअभियुक्त सचिन की पत्नी के मध्य अवैध सम्बन्ध थे (जिनके कुछ फोटोग्राफ्स भी

आज बहस के दौरान प्रस्तुत किए गये हैं) और इसी के सम्बन्ध में जब मृतक और सचिन के मध्य बात हो रही थी तो अभियुक्त ने भी मृतक से बात की थी। इसके अलावा उसकी अपराध में कोई और कोई भूमिका नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 6.9.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण में तितम्बा चार्जशीट किता की जा चुकी है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने भी मृतक मनराज, जिसकी आयु मात्र 19 वर्ष थी, को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया था। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जो फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किए गये हैं, उनके बारे में परिवादी के अधिवक्ता को कोई जानकारी नहीं है तथा उन्हें फोटोग्राफ्स की प्रति भी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उनका तर्क है कि यह फोटोग्राफ्स मनगढन्त (fabricated) भी हो सकते हैं। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त भी मृतक मनराज को मारपीट वाले स्थान पर बुलाने वालों में शामिल था तथा उसके द्वारा भी मृतक मनराज से मारपीट की गई थी तथा उसके द्वारा ले जाई गई कार को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा इसकी भरपाई की राशि भी उनके द्वारा परिवादी से ही किसी निरमा नामक महिला के खाते में अंतरित करवाई गई और इस प्रकार मनराज को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। उनका तर्क है कि जमानत पर मुक्त होने के बाद सहअभियुक्त सचिन ने परिवादी रेवतीरमण को धमकियां दी, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 20.8.2026 को डी.जी.पी. को रिपोर्ट देने के उपरांत प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उनका तर्क है कि प्रकरण में अनुसंधानकर्ता द्वारा निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया जा रहा है तथा वह अभियुक्त पक्ष से मिला हुआ है। उनका तर्क है कि जो वीडियो, मृतक के मृत्यकालिक कथन के रूप में अनुसंधान के दौरान प्राप्त किया गया है, उसको देखने व सुनने से स्पष्ट है कि मृतक ने उसके साथ मारपीट करने वालों में और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने वालों में प्रार्थी/अभियुक्त मनकेश का भी नाम लिया है। उनका तर्क है कि अभी प्रकरण में अन्य

अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही नहीं हुई है। गंभीर अपराध है। अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

उक्त तर्कों का जवाब प्रस्तुत करते हुए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रकट किया कि जिस पेन ड्राईव में सहअभियुक्त सचिन, मृतक मनराज व प्रार्थी/अभियुक्त मनकेश का वार्तालाप है, उसको देखने से स्पष्ट है कि उसमें प्राथी–अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक बात नहीं की गई है।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। इस मामले में परिवादी रेवती रमण द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है कि वह अपने चचेरे भाई मृतक मनराज के साथ प्रताप नगर जयपुर में किराये के मकान में रह रहा था। दिनांक 23.12.2025 को शाम के 6 बजे जब उसका भाई का सहायता के लिए फोन आया तो वह महात्मा गांधी पुलिया के पास पहुंचा, जहां उसके भाई को पीटने के लिए सचिन गुर्जर, लाखन सिंह तथा प्रार्थी/अभियुक्त मनकेश आदि लोग मिले। फिर वह अपने भाई को थार गाडी में बैठाकर अपने कमरे पर ले आया तो उन लोगों ने थार को उनकी समझकर तोडफोड कर दी। जिस पर पवन प्रजापत कार रेन्टल का फोन आया कि वह गाडी की तोडफोड का खर्चा देवें वरना वह मुकदमा दर्ज करवा देगा। इस सम्बन्ध में जब वे पवन प्रजापत कार रेन्टल के ऑफिस में पहुंचे तो वे उन्हें एक गाडी में बैठाकर सुनसान जगह पर ले गये और उन्होंने डराया धमकाया तो परिवादी ने गाडी में हुए नुकसान की भरपाई हेतु अभियुक्तगण के कहने पर निरमा मीणा को फोन पे पर भुगतान किया। तत्पश्चात् जब वे अपने कमरे पर गये तो उसका भाई मृतक 10 मिनिट में बाहर आने की कहकर बाहर चला गया। फिर मृतक ने उसे आत्महत्या का मृत्यु पूर्व के ऑडियो–वीडियो व फोटो भेजे, जिसमें उसने प्रार्थी–अभियुक्त मनकेश सहित अन्य अभियुक्तगण द्वारा उसे प्रताडित करने की बात कहकर मरने की धमकी दी थी। बाद में देर रात 12 बजे उसके भाई का शव सांगानेर स्टेशन पर मिला। अनुसंधान के दौरान मृतक द्वारा उपयोग में लिए जा रहे मोबाईल फोन की जांच करने पर प्रकट हुआ कि दिनांक 24.12.2025 मृत्यु से ठीक पहले मृतक ने लगभग 13

ऑडियो–वीडियो व फोटोज बनाये थे, जिसमें उसके सडक पर चलने व रोने के वीडियो हैं, जो अंधेरे में बनाये गये थे तथा इसमें उसने प्रार्थी–अभियुक्त मनकेश सहित अन्य अभियुक्तगण द्वारा उसे परेशान करना और इस कारण से आत्महत्या के लिए मजबूर होना कहा है। पत्रावली पर प्रार्थी–अभियुक्त मनकेश, सहअभियुक्त सचिन तथा मृतक मनराज के मध्य हुई वार्तालाप की प्रति उपलब्ध है तथा इस वार्तालाप के बाद ही मृतक की मृत्यु होना प्रकट हुआ है। इस प्रकार उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का मृतक मनराज को मारपीट वाले स्थान पर बुलाने वालों में शामिल होना, उसके द्वारा भी मृतक मनराज से मारपीट किया जाना और इसी के परिणामस्वरूप मृतक द्वारा आत्महत्या के लिए मजबूर होना प्रथम दृष्टया प्रकट हुआ है। यह भी प्रकट हुआ है कि जमानत पर मुक्त होने के बाद सहअभियुक्त सचिन ने परिवादी रेवतीरमण को धमकियां दी, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 20.8.2026 को डी.जी.पी. को रिपोर्ट भी दी गई थी। अभी प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही होना शेष है। प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में, समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

32/JITENDRA SINGH PANWAR